मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

हिन्दी प्रकोष्ठ / **Hindi Cell**

No. MANUU/Hindi Cell/2023/1384 Date: 26 December, 2023.

CIRCULAR

This Circular is issued in reference to letter No.11011/4/2022- रा.भा.ए. dt.07.11.2023 received from Dept. of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India .

SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963, both Hindi and English shall be used for all official work in the offices controlled by the Central Government.

Under section 3(3) of the Official Language Act, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms of Tender should invariably be, issued bilingually. For any violation, the officer signing such documents will be held responsible.

Accordingly, all the Deans/Heads of the Department / Section Heads / Incharge and all Hindi Pragya/Parangat passed candidates are here by requested to take note of the above provisions under Official Language Act, 1963 in regard to their official work.

In case of any assistance in Hindi, Hindi Cell may be contacted.

Registrar

कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्चीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

To
All Deans/HoDs/ Principals/ Incharges of HQ/Off-Campuses
Proctor, DSW, Provost(Boys & Girls)

Copy to:

1. *O/o V.C /Registrar/OSD-I/OSD-II/F.O/COE/Librarian*
2. *All the Hindi Pragya/Parangat passed Candidates*
3. *Director, CIT for uploading on University Website*
4. *Concerned file*

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सं.ई. 11011/4/2022-रा.भा.ए दिनांक : 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 दस्तावेजों (सूची संलग्न) को द्विभाषी रुप में अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परंतु यह देखने में आया है कि शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कई संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/ विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में उक्त अधिनियम के उपबंधों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. अतएव सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे। इस संबंध में तत्काल संदर्भ के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/10/90-रा.भा.(ख-2), दिनांक 26 जून, 1990 की प्रति संलग्न है।

(जगदीश राम पौरी)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में

1. शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संगठनों आदि के प्रमुख ।

प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा और प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को सूचनार्थ।
2. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक

धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	particulars
1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	परिपत्र	Circulars
4.	नियम	Rules
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियां	Licences
10.	निविदा प्रारुप	Tender Forms
11.	अनुज्ञा पत्र	Permits
12.	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13.	अधिसूचनाएं	Notifications
14.	संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament